



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 अग्रहायण 1941 (श10)

(सं० पटना 1286) पटना, सोमवार, 25 नवम्बर 2019

उद्योग विभाग

अधिसूचना

21 नवम्बर 2019

सं० 5/स० आयडा (विविध)-15/2019-4962—बिहार आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी अधिनियम, 2006 की धारा-4 (iii) (ग) एवं (छ) के आलोक में उद्योग प्रक्षेत्र के 02 (दो) प्रतिनिधि एवं सरकार स्तर से 03 (तीन) विशेषज्ञ को आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के निदेशक पर्वद के सदस्य के रूप में निम्न प्रकार मनोनीत किया जाता है:-

उद्योग प्रक्षेत्र के दो प्रतिनिधि:-

1. अध्यक्ष, बिहार इंडस्ट्रीज एसोशिएसन, पटना।
2. अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पटना।

सरकार द्वारा मनोनीत तीन विशेषज्ञ:-

1. मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
2. निदेशक, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीच्यूट (आद्री), पटना।
3. निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रदीप कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1286-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>